



1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.01.2015 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकांशी के दौरान गहन मीसर्स बोराना दूध डेयरी, सिवाना दोपहर 01.30 बजे पहुँचने पर डेयरी पर एक व्यक्ति बूटा हुआ मिला, नाम पता पूछने पर अपना नाम शिवलाल पुत्र बंशीलाल जालि धांवी निवासी पुरोहितों का वास सिवाना (कर्म मूनीम) बताया। ऊबकू मौतविरान की उपस्थिति में उक्त दूध डेयरी का निरीक्षण करने पर डेयरी में रखे एक जरीकन में दूध (मिक्स) कथेबन 20 लीटर आम जनता का विक्रय करने हेतु पाया गया। दूध में मिलावट का सन्देह होने पर, उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर खरीदा एवं चार कंच की साफ सूखी खाली डिशियाँ में बराबर मात्रा में भरा गया, जिसका भ्रान्तान मालिक विकेता को 80/- रुपये किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40-40 बूँद फार्मलिन बरीर प्रिलरटेव के रूप में डालकर उक्त उपर एयरटेस्ट डकन लगाकर बंद किया एवं उक्त उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गावाही व मालिक विकेता के इस्ताखर करवाये गये तथा स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी 435 चिपकाकर चिपड़ी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का

दिनांक 12.11.2016

निर्णय

उपरिस्थितः-1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाइसेर प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीनाम की ओर से।

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

- अप्रार्थी
1. शिवलाल पुत्र बंशीलाल जालि धांवी निवासी पुरोहितों का वास सिवाना बाइसेर (कर्म मूनीम)
 2. रमेश कुमार पुत्र बंशीलाल जालि धांवी निवासी पुरोहितों का वास सिवाना बाइसेर (कर्म मूनीम)
- मालिक)

बनाम

प्रार्थी
भारत गौरा
खाद्य सुरक्षा अधिकांशी
कायालय मुख्य विकेता एवं
स्वास्थ्य अधिकांशी, बाइसेर

परिवाद संख्या 10/2015

न्याय निर्णयन अधिकांशी एवं अतिरिक्त विना मजिस्ट्रेट बाइसेर
पीठासीन अधिकांशी- श्री ओपीओ बिस्नोई आर.ए.एस.

11

निवेदन किया।


2. परिवार प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थना का कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थना के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम न्यूनतम करने के, निस्तारण करने का

आवेदन, फाइल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।
माँका फर्द, नमूना पी-435 जॉब रिपोर्ट अधिहित अधिकांशों द्वारा पत्रवाली पेश करने हेतु का नोटिफिकेशन एवं सशोषित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नंबर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, पेश किया। खास सुरक्षा अधिकांशों ने परिवार के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कायदेशीर के आधार पर प्रार्थना खास सुरक्षा अधिकांशों ने समूहित कायदेशीर किसे जाने हेतु परिवार अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने पाया गया। उक्त प्रकरण में पेश पदार्थ (निबन्ध) का विषय कर खास सुरक्षा एवं मानक प्राप्त हुई, जिसमें दंड का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होकर अवमानक स्तर का 03.02.2015 से अधिहित अधिकांशों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकांशों, बाइसेर को (निबन्ध) नमूना पी-435 की जॉब रिपोर्ट क्रमांक एलएस/52/एक्ट/2015/52 दिनांक जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी ने परिवार में यह भी उल्लेखित किया कि पेश पदार्थ दंड कर सील अवस्था में अधिहित अधिकांशों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकांशों बाइसेर को भिजवाने तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नंबर 06 की एक प्रति आउटर कवर में बाससील से सील अंकित कर बाससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों का दोष दंड, एवं एक लिफाफे में फार्म नंबर 06 की एक प्रति रखकर खास सुरक्षा लैब जॉबपुर को पता को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया रखकर आउटर कवर के साथ उसी बाससील से सील किया जिसका प्रयोग चार्ज नमूनों के साथ जिसका प्रयोग संपन्न लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ सुरक्षा लैब जॉबपुर को भिजवाने हेतु फार्म नंबर 06 की कृपल सात प्रतियां पर नमूना सील की गई। समस्त कायदेशीर करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी-435 जॉब हेतु खास चार्ज नमूनों को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में माँका फर्द तैयार एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कायदेशीर दो गवाहों के रुबरू की गई तथा के पत्र स्वीप को कौस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नंबर 05 ए भरकर गवाहों के खास कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व




3. हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 24.01.2015 को गश्त के दौरान मैसर्स बोराना दूध डेयरी, सिवाना का निरीक्षण करने पर दुकान में रखे जरीकेन में करीबन 20 लीटर दूध (मिक्स) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ पाया गया। दूध (मिक्स) का नमूना पी.435 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।
4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट एलएस /52/एक्ट/ 2015/52 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय किये जा रहे दूध का नमूना पी. 435 जांच में अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते हैं।
5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण शिवलाल व रमेश कुमार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत अवमानक स्तर (Sub Standard) का दूध रखने एवं बेचने के दोषी हैं। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थीगण प्रत्येक पर रूपये 5000/- (अक्षरे रूपये पांच-पांच हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 12.11.2016 से एक माह के अंदर- अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।




 (ओपीओविशुनोई)
 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 अति.जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय लिखाया जाकर आज तारीख 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर